## —:: आदेश ::—

अतः अधिवक्ता श्री अमीचंद द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अधि० धारा 5 अधि० अधिनियम का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त कारणों सहित है, जिसमें स्वीकार किया जाता है, नामान्तरण स्वीकृति दिनांक 05-03-2010 गलत होने से पंजीबद्ध बैनामा दि० 03-06-2005 से अपील पेश करने की दिनांक तक की अवधि का कण्डोन किया जाता है। नामान्तरण की अपीलाधीन अपील स्वीकार योग्य है, स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामा सं० 267 दि० 05-03-2010 खारिज योग्य है, खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः नये सिरे से पंजीबद्ध खतियान 03-06-2005 अनुसार वास्तविक तथ्यों की जाँच कर विधि सम्मत निर्णय नामान्तरण पारित किये जाने की कार्यवाही करें। तहसीलदार, सोजत का निर्णय बैनामा की प्रति तस्दीक के साथ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होने बाद तकमील जाकर पत्रावली खारिज रकबा बेरजा अण्डार जमा हो।

(अरुण चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक [illegible] आयुक्त कार्य, 2018 कार्यक्रम में राजस्व लोक अदालत कैंप कार्यालय सेवा कुन्ज-गुड़ा बालां पर सिरवाया जाकर मेरे कथन सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली, राज.